

:: आदेश ::

राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1965 एवं संशोधित नियम 3.6.82 के नियम 23 व 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नांकित नर्सिंग अधीक्षक-द्वितीय(पुरुष/महिला) को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी-प्रथम के पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप सेवा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वेतन श्रृंखला में नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी-प्रथम के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्ग	जन्म तिथि	डी.पी.सी. चयनित वर्ष	विशेष विवरण
1	रामप्रसाद सोन	एससी	15.06.54	2007-08	
2	किशन लाल खत्री	एससी	04.03.56	2007-08	
3	भंवर लाल वर्मा	एससी	03.07.52	2007-08	
4	पुखराज गर्ग	एससी	01.09.54	2007-08	
5	रूपराम सोलंकी	एससी	10.05.55	2007-08	
6	श्रीकृष्ण गोयल	एससी	02.06.53	2007-08	
7	लालाराम मीणा	एसटी	03.05.53	2007-08	
8	शंकर लाल यादव	एससी	02.05.57	2007-08	
9	कन्हैया लाल कुलदीप	एससी	14.07.57	2007-08	
10	मणीकांत सिंह	एसटी	15.03.51	2007-08	स्वै0से0नि 01.02.10
11	धन्ना लाल गमेती	एसटी	13.05.56	2007-08	
12	फलोरेन्स मेरी रोज		04.09.49	2007-08	सेनि0
13	श्यामसुन्दर गरासिया	एसटी	12.11.55	2008-09	
14	केशवलाल स्वर्णकार		22.03.53	2008-09	
15	केहरी सिंह		01.12.52	2009-10	
16	कुशाल चन्द शर्मा		03.02.51	2009-10	मृत्यु 19.10.09
17	साराजेराल्ड जोसफ		14.10.52	2009-10	
18	शिरीन होप		30.09.56	2009-10	
19	कृष्णा माथुर		28.03.56	2009-10	

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ.7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक: 20.6.2001 के परिपेक्ष में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक: 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान उत्पन्न हुई हों तो पदोन्नति अगले 5 वर्ष तक रूक जावेगी, इसकी सूचना निदेशालय को भिजवावें।

उक्त पदोन्नत कर्मचारियों को वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम 24 ए उप नियम (11 ए) के अनुसार चयनित वर्ष की अंतिम तिथि से नोशनल आधार पर किया जावेगा तथा कोई एरियर देय नहीं होगा। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

१०

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान-जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/पदो./न.अ.-1/एफ- /2010/61 दिनांक: 19/2/10  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-निदेशक, ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर/
- 2-पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
- 3-संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
- 4-संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
- 5-संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 6-संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 7-सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8-आदेश/रक्षित पत्रावली।

*Gmy*

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान-जयपुर